(6)

68/70

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

"अधिसूचना"

संख्या–2/ई3–13023/2015 श्र0सं0– 3658 पटना, दिनांक– 26.8.16

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा श्रम संसाधन विभाग के श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन कारखाना निरीक्षक/वाष्पित्र निरीक्षक कार्यालयों तथा श्रम पक्ष के क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिकों/आशुटंककों की भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।– (1) यह नियमावली **"बिहार श्रम आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग नियमावली,2016"** कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगी ।

2. परिभाषा ।– इस नियमावली में, जब तक किसी विषय या संदर्भ में अन्यथा, अपेक्षित न हो :-

(क) **'सरकार'** से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;

(ख) **'संवर्ग'** से अभिप्रेत है, श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन कारखाना निरीक्षक/वाष्पित्र निरीक्षक सहित श्रम पक्ष के क्षेत्रीय कार्यालयों के आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग;

(ग) **'नियुक्ति प्राधिकार'** से अभिप्रेत है, श्रमायुक्त, बिहार;

(घ) **'आयोग'** से अभिप्रेत है, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग;

(ङ.) **'विभाग'** से अभिप्रेत है, श्रम संसाधन विभाग, बिहार;

(च) **'नियंत्री पदाधिकारी'** से अभिप्रेत है, श्रमायुक्त, बिहार।

3. संवर्ग ।– (1) यह संवर्ग अराजपत्रित वर्ग–'ग' का राज्य स्तरीय संवर्ग होगा तथा श्रमायुक्त, बिहार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा।

(2) नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के पूर्व से आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग के सभी कर्मी स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेगें ।

(3) आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग के पद सोपान निम्नरूपेण होंगे –

क्रमांक	ग्रेड	स्तर
1	आशुलिपिक/आशुटंकक ग्रेड III	मूल कोटि
2	आशुलिपिक/आशुटंकक ग्रेड II	प्रोन्नति का प्रथम स्तर
3	आशुलिपिक/आशुटंकक ग्रेड I	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर

इस संवर्ग में सरकार, समय-समय पर, अन्य उच्चत्तर पे बैण्ड एवं ग्रेड पे के स्वीकृत पदों, को विभिन्न आदेश द्वारा, शामिल कर सकेगी।

4. <u>संवर्ग का अधिकृत बल ।-</u> इस संवर्ग का अधिकृत बल विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग की सहमति से बढ़ाया या घटाया जा सकेगा।

5. <u>अर्हता, उम्र एवं नियुक्ति की प्रक्रिया ।-</u> (1) आशुलिपिक/आशुटंकक ग्रेड-III के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इण्टरमीडियट (10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी । उम्मीदवारों को आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

(2) नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो राज्य सरकार द्वारा राज्यकर्मियों के लिए समय-समय पर विनिश्चित की जाय ।

(3) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की 01ली अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करने के बाद उक्त वर्ष 30 अप्रैल तक आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के लिए अधियाचना नियुक्ति प्राधिकार द्वारा आयोग को भेज दी जाएगी। आयु की अर्हता रिक्ति वर्ष की 01ली अगस्त के अनुसार होगी।

(4) संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को उनके द्वारा संविदा पर बितायी गयी अवधि का सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार अधिमान (वेटेज) दिया जाएगा।

6. <u>अर्हता की जांच ।-</u> (1) आयोग अभ्यर्थियों की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा लेगा और ऐसी परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त उम्मीदवारों की मेधा सूची तैयार करेगा तथा ऐसी सूची के उम्मीदवारों की अर्हता की व्यवहारिक दक्षता जाँच के आधार पर मेधा सूची (पैनल) तैयार करेगा। आयोग सफल उम्मीदवारों की अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा। आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम एवं प्राप्तांक का अवधारण, सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से, करेगा। उम्मीदवारों को सफल होने के लिए पूर्णांक का न्यूनतम 50% अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2) हिन्दी एवं अंग्रेजी में श्रुतिलेखन के लिए न्यूनतम अर्हक 80 शब्द प्रति मिनट की गति एवं टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट होगी। सफल होने के लिए श्रुतिलेखन में 10% (दस प्रतिशत) एवं टंकण में 1.5% (डेढ़ प्रतिशत) से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा।

(3) कम्प्यूटर संचालन में दक्षता/ एम0एस0वर्ड, एम0एस0एक्सेल एवं एम0एस0 पावर प्वाइंट में दक्षता की भी जांच की जायेगी ।

68

7. <u>आरक्षण ।–</u> संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गत/प्रभावी आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।

8. <u>परिवीक्षा अवधि ।–</u> आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग में प्रथम नियुक्ति मूल कोटि के पद पर परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि दो वर्षो की होगी, जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी, यदि सुधार की गुंजाइस हो। परिवीक्षा अवधि विस्तार एक से अधिक वर्ष के लिए नही होगा ;

परंतु विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर, व्यक्ति सेवामुक्त किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रतिकार का कोई दावा स्वीकार नही किया जाएगा।

9. <u>प्रशिक्षण ।–</u> परीक्ष्यमान काल की अवधि में कर्मी को राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा ।

10. <u>विभागीय परीक्षा ।–</u> (1) राजस्व पर्षद की केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष विभागीय परीक्षा आयोजित की जायेगी। उक्त परीक्षा 100 अंकों की होगी।

(2) विभागीय परीक्षा कम्प्यूटर दक्षता एवं श्रुतिलेख की जाँच के लिए होगी, जिसमें श्रुतिलेख एवं टंकण कम्प्यूटर दक्षता की जाँच होगी, जिसमें श्रुतिलेख की गति के लिए 80 शब्द प्रति मिनट का मापदंड होगा । इसके अलावे कम्प्यूटर पर भी 30 शब्द प्रति मिनट टंकण होगी । विभागीय परीक्षा में असफल होने पर प्रथम वेतनवृद्धि के बाद आगे की वेतनवृद्धि विभागीय परीक्षा पास होने तक रोक दी जायेगी ।

11. <u>संपुष्टि ।–</u> नियुक्त कर्मी परीक्ष्यमान अवधि एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने तथा विभागीय परीक्षा में सफल होने पर संवर्ग में सम्पुष्ट किये जा सकेंगे ।

12. <u>प्रोन्नति ।–</u> ग्रेड- III से ग्रेड- II तथा ग्रेड- II से ग्रेड- I के पद दक्षता-सह-वरीयता के आधार पर संवर्ग में सम्पुष्ट मूल कोटि के ऐसे आशुलिपिकों/आशुटंककों से भरे जायेंगे तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित कालावधि पूरी कर चुके हो एवं बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के सुसंगत नियमों के अनुसार प्रोन्नति हेतु अवधारित विभागीय परीक्षा में अंतिम रूप से उत्तीर्ण हो चुके हो। श्रमायुक्त की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर होगी ।

13. <u>वरीयता ।–</u> (1) कारखाना निरीक्षणालय, वाष्पित्र निरीक्षणालय एवं श्रम पक्ष के क्षेत्रीय कार्यालयों के आशुलिपिक/आशुटंककों की पृथक-पृथक वरीयता सूची श्रमायुक्त के कार्यालय स्तर पर संधारित की जाएगी।

(2) नियम-6 की उप नियम (1) एवं (2) के अधीन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित योग्यता सूची के अनुसार होगी ।

14. <u>पदस्थापन/स्थानान्तरण ।–</u> नियुक्त आशुलिपिकों/आशुटंककों का पदस्थापन एवं स्थानान्तरण की शक्ति श्रमायुक्त, बिहार में सन्निहित रहेगी, जो सरकार द्वारा उनसे संबंधित समय-समय पर, निर्गत निदेशों/अनुदेशों के आलोक में स्थानान्तरण/पदस्थापन कर सकेंगे।

65

15. <u>निर्वचन ।-</u> जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधानों में कोई संदेह उत्पन्न होगा, वहाँ यह विषय श्रम संसाधन विभाग को निर्देशित किया जाएगा और विभाग, विधि विभाग के परामर्श से, उस विषय पर निर्णय लेगा जो अंतिम होगा।

16. <u>प्रकीर्ण ।-</u> किसी अन्य नियमावली में बिहार श्रम आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग के संबंध में इस नियमावली के प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी, इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा।

17. <u>व्यावृति । -</u> इस नियमावली में जिन विषयों के लिए प्रावधान नहीं किया जा सका है, उनके लिए राज्य सरकार को प्रासंगिक संहिता/नियमावली /संकल्प /अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे ।

18. <u>निरसन ।-</u> (i) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व निर्गत इस नियमावली से सभी प्रासंगिक नियम/संकल्प/परिपत्र/अनुदेश आदि एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसे नियम, संकल्प परिपत्र, अनुदेश आदि के अधीन किया कुछ भी या की गई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली इस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन वैसा कुछ किया गया था, वैसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(दीपक कुमार सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2/ई3-13023/2015 श्र0सं0- 3658 पटना, दिनांक- 26.8.16

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति एवं सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2/ई3-13023/2015 श्र0सं0- 3658 पटना, दिनांक- 26.8.16

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, भेटनरी कॉलेज, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त के सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, कृषि श्रमिक निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/सभी उप श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक सहित/सभी सहायक श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक सहित/सभी श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक को सूचना के लिए एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2/ई3-13023/2015 श्र0सं0- 3658 पटना, दिनांक- 26.8.16

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना तथा सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को सूचना के लिए एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2/ई3-13023/2015 श्र0सं0- 3658 पटना, दिनांक- 26.8.16

प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचना के लिए एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-2/ई3-13023/2015 श्र0सं0- 3658 पटना, दिनांक- 26.8.16

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मद संख्या-22, में मंत्रिमंडल की दिनांक-20.07.2016 को बैठक के अनुपालन के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव।